

प्रेस नोट दिनांक 28.09.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

हत्या के प्रयास के अभियोग में ₹10,000/- के इनामिया वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह को थाना क्षेत्रान्तर्गत जगन्नाथ का पुरवा देवरी जाने वाले मार्ग पर कूड़ाघर के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा थाना उदयपुर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 03.04.2026 को ग्राम आहड़ बीहड़ में दीवार बनाने को लेकर हुए विवाद में अभियुक्तगण द्वारा वादी एवं उसके भाई के साथ लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी, फावड़ा आदि से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। उक्त घटना के संबंध में थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0 61/2026 धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 131, 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी उदयपुर श्री दीपनाराय के नेतृत्व में थाना उदयपुर के उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 अनिल कुमार, का0 गोपाल गिरि, का0 इरफान अली द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित ₹10,000/- के इनामिया अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम आहड़ बीहड़, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत जगन्नाथ का पुरवा देवरी जाने वाले मार्ग पर कूड़ाघर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. धीरेन्द्र सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम आहड़ बीहड़, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 अनिल कुमार, का0 गोपाल गिरि, का0 इरफान अली, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा गैर-जमानतीय वारंट से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर के उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह, का0 सूरज कुमार द्वारा क्षेत्र में देखभाल एवं वांछित/वारण्टी

अभियुक्तों की तलाश के दौरान माननीय न्यायालय जे0एम0 महोदय लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर-जमानतीय वारंट से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा वारण्टी की तलाश के दौरान उसके घर के बाहर से माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार वारण्टी का विवरण-

1. शीतला प्रसाद वर्मा पुत्र शंकर वर्मा, उम्र करीब 57 वर्ष, निवासी ग्राम दलापट्टी, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

वारंट/अभियोग का विवरण-

एस0टी0 संख्या 2220/12, राज्य बनाम हीरालाल, अ0सं0 95/08, धारा 498ए/323/506 भादवि, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह, का0 सूरज कुमार, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लालगंज के उ0नि0 रामनरेश मय हमराह का0 राहुल यादव व का0 राहुल कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन/तलाश वांछित एवं वारण्टी अभियुक्त तथा सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान माननीय अपर सिविल जज (जे0डी0) कोर्ट नं0 24 द्वारा निर्गत ऑनलाइन गिरफ्तारी अधिपत्र, सेशन क्रिमिनल केस/3784/2020 राज्य बनाम अबुल हसन, सम्बन्धित अ0सं0 266/2002, धारा 498/323/504/302/109 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त महमूद पुत्र स्व0 अबुल हसन, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम खालसा सादात, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को मुखबिर की सूचना पर महिमापुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- महमूद पुत्र स्व0 अबुल हसन, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम खालसा सादात, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रामनरेश मय हमराह का0 राहुल यादव व का0 राहुल कुमार, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना बाघराय के उ0नि0 बीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह का0 अतुल कुमार द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत ऑनलाइन गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त फुलचन्द्र पुत्र स्व0 पुतुनू उम्र करीब 72 वर्ष, निवासी ग्राम उमरी कोटिला, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़। स्थायी पता ग्राम सरई नहर, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

अभियोग/वारंट का विवरण-

मु0अ0सं0 62/2002, धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 27.09.2026 को थाना बाघराय पुलिस द्वारा छेउंगा चौराहा नहर के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान वारण्टी अभियुक्त फुलचन्द्र को रोककर ई-सम्मन ऐप के माध्यम से जांच की गई, जिसमें उसके विरुद्ध उपरोक्त अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी अधिपत्र निर्गत होना पाया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

1. फुलचन्द्र पुत्र स्व0 पुतुनू उम्र करीब 72 वर्ष, निवासी ग्राम उमरी कोटिला, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़। स्थायी पता ग्राम सरई नहर, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 बीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह का0 अतुल कुमार, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कन्धई पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त राजकुमार उर्फ नन्हे गिरफ्तार, चोरी की चाँदी की पायल एवं ₹2,500/- नगद बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना कन्धई पुलिस को मिली सफलता: चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की एक जोड़ी चाँदी की पायल एवं ₹2,500/- नगद बरामद किया गया।

प्रतापगढ़।

दिनांक 02.08.2026 को वादिनी निवासी ग्राम उतरास थाना कन्धई जिला प्रतापगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त राजकुमार वर्मा उर्फ नन्हे द्वारा वादिनी के घर में पीछे से घुसकर नगद व सोने चाँदी के गहने एवं रियलमी मोबाइल चोरी किया गया। शोर मचाने पर अभियुक्त ने चाकू से वादिनी पर वार कर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। इस संबंध में थाना कन्धई पर मु0अ0सं0 173/2026 धारा 305(A)/331(6)/115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल

पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कन्धई श्री आदित्य सिंह के नेतृत्व में थाना कन्धई के उ०नि० जयप्रकाश मय हमराह उ०नि० विनीत कुमार प्रजापति एवं का० राजेश कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 173/2026 धारा 305(A)/331(6)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त राजकुमार उर्फ नन्हे पुत्र रामलाल, उम्र करीब 37 वर्ष, निवासी ग्राम उतरास, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत उतरास मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक जोड़ी चाँदी की पायल एवं ₹2,500/- नगद बरामद हुए।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त राजकुमार उर्फ नन्हे ने बताया कि करीब 2 माह पूर्व उसने पड़ोस में रहने वाली क्रान्ति पटेल के घर में रात्रि के समय घुसकर ₹10,000/- नगद, सोने का झुमका, सोने की लाकेट, चाँदी की पायल एवं छोटा मोबाइल फोन चोरी किया था। सोने के आभूषणों को कन्धई बाजार जाते समय एक अज्ञात व्यक्ति को ₹15,000/- में बेच दिया था तथा चाँदी की पायल अपने घर में छिपाकर रखी थी। आज उक्त पायल बेचने जाते समय पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बरामद ₹2,500/- को अभियुक्त द्वारा चोरी के बचे हुए रुपये बताया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राजकुमार उर्फ नन्हे पुत्र रामलाल, उम्र करीब 37 वर्ष, निवासी ग्राम उतरास, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

* एक जोड़ी चाँदी की पायल।

* ₹2,500/- नगद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० जयप्रकाश मय हमराह उ०नि० विनीत कुमार प्रजापति एवं का० राजेश कुमार यादव, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त नबीउद्दीन को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपहृत/गुमशुदा व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी हथिगवां श्री सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना हथिगवां के उ०नि० रमेश तिवारी मय हमराह का० गौरव कुमार व का० शान मिश्र द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु०अ०सं० 207/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त नबीउद्दीन पुत्र मो० इब्राहिम, निवासी ग्राम रामनगर लहबरी, थाना धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी, उम्र करीब 24 वर्ष को रामवनगमनपथ हाइवे कुढ़ा अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नबीउद्दीन पुत्र मो0 इब्राहिम, निवासी ग्राम रामनगर लहबरी, थाना धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी, उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 रमेश तिवारी, का0 गौरव कुमार व का0 शान मिश्र, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा गबन/धोखाधड़ी एवं जालसाजी के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त सूरज कुमार सरोज गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा माइक्रो फाइनेंस कम्पनी में गबन/धोखाधड़ी एवं जालसाजी के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक 17.09.2025 को वादी रीजनल मैनेजर, आशिर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, शाखा ढकवा की तहरीर पर शाखा प्रबंधक वेद प्रकाश श्रीवास्तव, उप शाखा प्रबंधक कौस्तुभ उपाध्याय, फील्ड स्टाफ सिद्धार्थ यादव, सूरज कुमार सरोज, संतोष कुमार यादव एवं बाहरी दलालों के विरुद्ध दिनांक 08.03.2025 से 26.06.2025 के मध्य 18 गांवों के 138 सदस्यों के साथ फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कुल 53,90,000 रुपये की धोखाधड़ी/गबन एवं जालसाजी करने के संबंध में मु0अ0सं0 पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 हरीन्द्र नारायण राय मय हमराह का0 श्रवण कुमार, का0 शुभम यादव व म0 आ0 प्रियंका प्रजापति द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 270/25 धारा 316 (5)/61 (2) बीएनएस, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त सूरज कुमार सरोज पुत्र बंसतलाल नि०ग्रा0 शरमा (पृथ्वीगंज) थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को पट्टी चौराहे पर दया हास्पिटल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सूरज कुमार सरोज पुत्र बंसतलाल नि०ग्रा0 शरमा (पृथ्वीगंज) थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 हरीन्द्र नारायण राय मय हमराह का0 श्रवण कुमार, का0 शुभम यादव व म0 आ0 प्रियंका प्रजापति थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लालगंज के उ0नि0 रामनरेश मय हमराह का0 राहुल यादव व का0 पवन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन/तलाश वांछित एवं वारण्टी अभियुक्त तथा सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान माननीय इलेक्ट्रिसिटी एक्ट स्पेशल कोर्ट द्वारा निर्गत ऑनलाइन गिरफ्तारी अधिपत्र, क्रिमिनल केस/49/2018 राज्य बनाम धुन्नीलाल कोरी, सम्बन्धित अ0सं0 472/2016 धारा 138बी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त धुन्नीलाल कोरी उर्फ कमलेश पुत्र स्व0 चिरौजीलाल, उम्र करीब 46 वर्ष, निवासी ग्राम अझारा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को प्रा0वि0 अझारा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- धुन्नीलाल कोरी उर्फ कमलेश पुत्र स्व0 चिरौजीलाल, उम्र करीब 46 वर्ष, निवासी ग्राम अझारा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रामनरेश मय हमराह का0 राहुल यादव व का0 पवन यादव, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लालगंज के उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 संतोष यादव व का0 वैभव यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन/तलाश वांछित एवं वारण्टी अभियुक्त तथा सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0-13 द्वारा निर्गत ऑनलाइन गिरफ्तारी अधिपत्र, सेशन क्रिमिनल केस/2852/2020 राज्य बनाम इन्द्रपाल वर्मा, सम्बन्धित अ0सं0 85/2002 धारा 323/504/506/452/325 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त रामपाल वर्मा पुत्र स्व0 रामसुमेर वर्मा, उम्र करीब 56 वर्ष, निवासी ग्राम धर्मराज तुलई मजरे मादीपुर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को मुखबिर की सूचना पर इन्द्रा चौक से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- रामपाल वर्मा पुत्र स्व0 रामसुमेर वर्मा, उम्र करीब 56 वर्ष, निवासी ग्राम धर्मराज तुलई मजरे मादीपुर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 संतोष यादव व का0 वैभव यादव, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना के दृष्टिगत 01 अभियुक्त के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही कर चालान किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कुण्डा के उ0नि0 मनोज राय मय हमराह का0 दीपक कुमार दुबे द्वारा देखभाल क्षेत्र, भ्रमण एवं जांच प्रार्थना पत्र के दौरान मु0अ0सं0 357/2026 धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस व 3(1)/3(1)ध एससी/एसटी एक्ट, थाना कुण्डा से संबंधित ग्राम दिलेरगंज में मुकदमेबाजी को लेकर आपस में झगड़ा एवं फौजदारी पर आमादा होने की स्थिति में शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना के दृष्टिगत 01 अभियुक्त अनूप कुमार मौर्या उर्फ अन्नू मौर्या पुत्र सदाशिव मौर्या, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी दिलेरगंज, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में चालान किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- अनूप कुमार मौर्या उर्फ अन्नू मौर्या पुत्र सदाशिव मौर्या, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी दिलेरगंज, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 मनोज राय मय हमराह का0 दीपक कुमार दुबे, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना फतनपुर के उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह उ0नि0 रामबलि चौहान, रि0म0आ0 बिनू जायसवाल व रि0म0आ0 आँचल बिन्द द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन/दबिश वांछित एवं वारण्टी/NBW अभियुक्त के दौरान सेशन केस 1285/2024, सम्बन्धित अ0सं0 148/2024 धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट व 191(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त कल्लन यादव उर्फ लालबहादुर यादव पुत्र मुरली, उम्र करीब 60 वर्ष, निवासी भीट, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- कल्लन यादव उर्फ लालबहादुर यादव पुत्र मुरली, उम्र करीब 60 वर्ष, निवासी भीट, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह उ0नि0 रामबलि चौहान, रि0म0आ0 बिनू जायसवाल व रि0म0आ0 आंचल बिन्द, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू पुलिस द्वारा “हत्या का प्रयास एवं एससी/एसटी एक्ट” के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त रिकू वर्मा गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाँस का डंडा बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना अन्तू पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाँस का डंडा बरामद किया गया।

प्रतापगढ़।

दिनांक 16.09.2026 को थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नरी स्थित पंचायत भवन में निवास कर रही 80 वर्षीय महिला को आरोपी द्वारा गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई तथा पंचायत भवन पर कब्जा करके रहने की बात कहते हुए जान से मारने की नीयत से लाठी से सिर पर वार कर दिया गया। इस संबंध में थाना अन्तू पर मु0अ0सं0 249/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)v, 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा थाना अन्तू के उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह आरक्षी लोकेन्द्र सिंह, आरक्षी मृत्युंजय चौधरी व आरक्षी लाखन सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 249/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)v, 3(2)(va) एससी/एसटी, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त रिकू वर्मा पुत्र रामआसरे, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम नरी, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत कटका मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रिकू वर्मा पुत्र रामआसरे, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम नरी, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 अदद बाँस का डंडा।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह आरक्षी लोकेन्द्र सिंह, आरक्षी मृत्युंजय चौधरी व आरक्षी लाखन सिंह, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

